भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1669

उत्तर देने की तारीख : 01.08.2024

ऋणों के उपयोग के लिए पूरक योजनाएं

1669. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विक्रेताओं और कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली 'जगना थोडू' जैसी योजनाओं से उत्पादकता बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे ऋणों के बेहतर उपयोग के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पूरक योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि मौजूदा योजनाएं अंसतोषजनक हैं तो क्या सरकार का अतिरिक्त अनुपूरक योजनाएं शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ग): केंद्र सरकार देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इन पहलों में एमएसएमई क्षेत्र को कम/वहनीय स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना शामिल है।

देश भर में स्ट्रीट वेंडर्स को कॉलेटरल मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 28,64,412 लाभार्थियों को 2,857.25 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स और परम्परागत कारीगरों को कार्यशील पूंजी के लिए बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना थोडू योजना शुरू की। वित्त वर्ष 2023-24 में 12.01 लाख लाभार्थियों को 1,264.89 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्रदान की गई थी। यह सूचित किया गया है कि अध्ययनों से पता चलता है कि जगन्ना थोडू योजना ने लाभार्थियों कार्यशील पूंजी संबंधी आवशकताओं को पूरा करने में प्रभावी रूप से सहायता की है।

इसके अलावा, इस दिशा में निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं:

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण की विभिन्न श्रेणियों हेतु 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ उन्हें 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना। योजना की शुरुआत से लेकर 30.06.2024 तक, 6.78 लाख करोड़ रुपये की राशि से जुड़ी 91.76 लाख गारंटियां अनुमोदित की गई हैं।

ii. गैर-कृषि क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने में उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत से, 9.69 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को अनुमानित 79 लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते हुए 25,500 करोड़ रुपये से अधिक की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है।

iii. पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17.09.2023 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को गारंटी कवरेज के साथ 5% ब्याज दर पर ऋण सहायता सहित संपूर्ण सहायता प्रदान करना है।

*****